राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन/फेक्स : 02992–252377 ई–मेल : pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
16.01. 2019

# जिले में मतदाता जागरूकता फोरम का शुभारम्भ
## जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन संबंधी गतिविधियां कराने के दिए निर्देश

जैसलमेर, 16 जनवरी। निर्वाचन विभाग के निर्देशों की पालना में जिले में विभिन्न विभागों, एनजीओ, सामुदायिक संगठन में मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक के साथ ही मतदाता जागरूकता फोरम का शुभारम्भ किया गया। लोक सभा चुनाव–2019 को ध्यान में रखते हुए आयोग के इस मतदाता जागरूकता फोरम के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की आमजन को जानकारी देने एवं मत के महत्व के बारे में बताने के लिए प्रत्येक स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संभागियों को निर्देश दिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता ने बताया कि इस फोरम का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में पंजीकरण, मतदान के वास्तविक गतिविधियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विचारों को सांझा करना है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी संरचना प्रत्येक संगठन एवं कार्यालय के प्रमुख की अध्यक्षता में करें वहीं इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस फोरम के माध्यम से प्रत्येक सरकारी एंव गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही संगठनों के कर्मचारियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना है वहीं इसके माध्यम से जो 7 गतिविधियां विभिन्न स्तर पर की जानी है उसका आयोजन कराने पर जोर दिया एवं कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जो भी गतिविधियां की जावें उसका पूरा प्रलेखन तैयार करके स्वीप नोडल को उपलब्ध भी कराया जावें।

उन्होंने यह भी बताया कि नोडल अधिकारी इस फोरम के संयोजक के रूप में कार्य करेगें तथा जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर निर्वाचन प्रक्रिया की प्रणाली से आमजन को अवगत करायेगें एवं साथ ही जो युवा

वर्ग है उनको भी इसकी पूर्ण जानकारी करायेगें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग में मतदाता जागरूकता फोरम (वीएएफ) का गठन तत्काल ही कर समय–समय पर निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यक्रमों का आयोजन करवाना है। उन्होंने पूर्व में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में गठित ईसीआई को भी क्रियाशील बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र को सुदृढ बनाने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की जागरूक एवं नैतिक सहभागिता को विकसित करना इस वीएएफ का मुख्य उद्देश्य है।

बैठक के दौरान स्वीप के सह प्रभारी राजकुमार विश्नोई ने मतदाता जागरूकता फोरम (वीएएफ) क्या है, इसके कौन सदस्य बन सकते है, इनके सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित क्या प्रक्रिया करायेगें, इसकी संरचना, नोडल अधिकारी भूमिका के बारे में सभी संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने इस फोरम के माध्यम से जो 7 गतिविधियां की जानी है उसके बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि वे मतदाता जागरूकता फोरम के माध्यम से अपने विभाग में निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित की गई गतिविधियों का आयोजन करावें।

बैठक में उपायुक्त उप निवेशन मोहनदान रतनू, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान के साथ ही इस फोरम से जुडे सभी अधिकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थें।

———000———

## जिला कलक्टर ने किया मरू महोत्सव 2019 के रंगीन पोस्टर का विमोचन

जैसलमेर, 16 जनवरी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में जग विख्यात 3 दिवसीय मरू महोत्सव का आयोजन आगामी 17 से 19 फरवरी 2019 तक होगा। जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग द्वारा मरू महोत्सव के बेहतरीन आयोजन के संबंध में विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई है। जिला कलक्टर नमित मेहता मरू महोत्सव को एक यादगार बनाने के लिए कार्यक्रमों को और अधिक बेहतर बनाने के प्रयास कर रहें है।

जिला कलक्टर मेहता ने बुधवार को सांय कलेक्ट्रेट सभागार में मरू महोत्सव – 2019 के आयोजन के संबंध में रंगीन पोस्टर का विमोचन किया। इस पोस्टर में मरूश्री एवं मिस मूमल 2018 के साथ मरू महोत्सव के आयोजन की तिथि का अंकन किया गया है। वहीं इसमें सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ऊंट के साथ ही लोक कलाकारों एवं ख्यातनाम कलाकार क्वीन हरीश का भी फोटो प्रदर्शित किया गया है। इस रंगीन पोस्टर के विमोचन के अवसर पर उपायुक्त उप निवेशन मोहनदान रतनू, उप निदेशक पर्यटक स्वागत केन्द्र भानुप्रताप, सहायक पर्यटन अधिकारी खेमेन्द्रसिंह जाम, खेल अधिकारी लक्ष्मणसिंह तंवर भी उपस्थित थें।

जिला कलक्टर ने इस मरू महोत्सव के रंगीन पोस्टरों को जिला कलक्टर के बाहर लगें होर्डिंग्स के साथ ही अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी लगाने के निर्देश दिए।

———000———

## जिला कलक्टर परिसर में केवल राजकीय कर्मचारियों के वाहन ही अनुमत होगें

जैसलमेर, 16 जनवरी। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ.किरण कंग के निर्देशों की पालना में यातायात पुलिस उप निरीक्षक कपूराराम चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में राजकीय वाहनों के साथ ही राजकीय कर्मचारियों के दुपहिया एवं चौपहिया वाहन निर्धारित की गई पार्किंग स्थल पर भी पार्किंग किए जावें वहीं जिला न्यायालय परिसर में भी न्यायिक अधिकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं एवं न्यायालयों के कर्मचारियों के वाहन भी निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खडे किया जावें।

उन्होंने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में इन वाहनों के अलावा अन्य वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर कार्यालय एवं न्यायालय कार्य के लिए आने वाले लोगों को अपने वाहन जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित बने पक्के फुटपाथ पर ही खडे करने होगें। उन्होंने इस व्यवस्था में सभी को सहयोग करने का आह्वान किया एवं बताया कि एक–दो दिवस तो ऐसे अनाधिकृत रूप से आने वाले वाहन चालकों को समझाईश की जायेगी एवं उसके बाद यदि वे वाहन बिना अनुमत के लाते है तो उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

———000———

## दिव्यांगो के कृत्रिम हाथ/ पैर लगाये जाने के लिए शिविर आज

जैसलमेर, 16 जनवरी। दिव्यांगो के कृत्रिम हाथ व पैर या कैलीपर्स लगाये जाने के लिए 17 जनवरी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन होगा। सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि विशेष योग्य जन प्रमाणीकरण शिविरों में जिन दिव्यांग जनों द्वारा अपने कृत्रिम हाथ पैर लगाये जाने के लिए एल्मिको के प्रतिनिधि को माप उपलब्ध कराया गया था।

उन्होंने बताया कि उन दिव्यागो के 17 जनवरी को जिला कार्यालय में अंग उपकरण लगा कर लाभान्वित किया जायेगा। उन्होने बताया वे सभी दिव्यांग जिन्होने ने पूर्व आयोजित शिविर में अपने अंग उपकरण के लिए

अपना माप दिया था वे इस शिविर में कृत्रिम अंग लगाये जाने के लिए आवश्यक रूप से उपस्थित होकर लाभ प्राप्त करें ।

———000———

## ग्रामपंचायत केलावा में रात्रि चौपाल शुक्रवार को
## जिला कलक्टर मेहता सुनेगें ग्रामीणों की परिवेदनाएं

जैसलमेर, 16 जनवरी। जिले की पोकरण उपखण्ड की ग्रामपंचायत केलावा में रात्रि चौपाल का आयोजन 18 जनवरी, शुक्रवार को रखा गया है। जिला कलक्टर नमित मेहता रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेगें एवं उनके समाधान की कार्यवाही भी करवायेगें।

ग्राप पंचायत केलावा क्षेत्र के समस्त ग्रामीणजनों से आग्रह किया कि वे रात्रि चौपाल में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखें ताकि मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उसका निराकरण किया जा सकें। उन्होंनें जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रात्रि चौपाल में अनिवार्य रूप से सांय 6:30 बजे आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। उन्होंने संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे रात्रि चौपाल का संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें।

———000———

## ग्राम पंचायत बोडाना के डीलर का लाइसेंस निलम्बित
## जिला कलक्टर के निर्देशों पर हुई कार्यवाही

जैसलमेर, 16 जनवरी। ग्राम पंचायत बोडाना के सरपंच सोहनलाल तथा ग्रामीणों द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष डीलर द्वारा खाद्यान समय पर नहीं देने की शिकायत की थी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिला रसद अधिकारी को बोडाना डीलर की शिकायत के जांच करने के निर्देश दिये।

जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशों की पालना में बोडाना के डीलर की जांच प्रवर्तन अधिकारी कंवराराम एवं प्रवर्तन निरीक्षक सदीक झांकल द्वारा करवाई गई। जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें मार्च 18 से जुलाई 18 तक डीलर द्वारा नियमित प्रतिमाह गेहूं नहीं दिया एवं उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रवर्तन अधिकारी ने डीलर के केरोसीन स्टॉक का जांच के दौरान निरीक्षण किया गया, जिसमें 500 लीटर से अधिक केरोसीन कम पाया गया।

जिला रसद अधिकारी सोनी ने बताया कि जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के आदेश पर उचित मूल्य दुकानदारन मांगूसिंह को जारी प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर राशन सामग्री की वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था भूपेन्द्रसिंह उचित मूल्य विक्रेता नोख से किये जाने का आदेश जारी किया गया।

———000———